

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104931

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-भगवानपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती माधुरी देवी

बनाम

श्रीमती सीता देवी

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1133 दिनांक-16/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-529मि रकबा 0.3020 हे० में से रकबा 690 वर्गफीट यानि रकबा-64.12 वर्ग मीटर स्थित मौजा-भगवानपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्रीमती सीता देवी ने बहक श्रीमती माधुरी देवी को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेती व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-भगवानपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00907 फसली वर्ष 1427-1432 फ० के आराजी संख्या-529मि रकबा 0.3020 हे० में से रकबा 690 वर्गफीट यानि रकबा-64.12 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेती श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री राज नारायण सिंह पता ग्राम इसहुल तहसील चकिया जिला चन्दौली व हाल

पता पटेल नगर कालोनी भगवानपुर तहसील व जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती माधुरी देवी पत्नी श्री वंश नारायण सिंह पता ग्राम इसहुल पोस्ट पचवनिया तहसील चकिया जिला चन्दौली का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104274

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-मडुवाडीह परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री शंशाक शेखर सिंह

बनाम

श्रीमती सुधा देवी

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-914 दिनांक-07/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-मि50 रकबा 0.4400 हे० में से रकबा 2646 वर्गफीट यानि रकबा-245.91 वर्ग मीटर स्थित मौजा-मडुवाडीह परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्रीमती सुधा देवी ने बहक श्री शंशाक शेखर सिंह को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में नकल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि

क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-मडुवाडीह परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00398 फसली वर्ष 1430-1435 फ0 के आराजी संख्या-मि50 रकबा 0.4400 हे0 में से रकबा 2646 वर्गफीट यानि रकबा-245.91 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेती श्रीमती सुधा देवी उर्फ सुधा शर्मा पत्नी श्री प्रेमचन्द शर्मा पता कमरा नम्बर 443ए डी.एल. डब्ल्यू शहर वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री शंशाक शेखर सिंह पुत्र श्री राकेश प्रताप सिंह पता मकान नम्बर बी-38/47 बी-के प्रथमतल श्री हनुमान जी सोसाइटी मोतीझील महमूरगंज शहर वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202314700108547

वर्ष-2023

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-सीरगोवर्धनपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री सुनीत कुमार गिरी

बनाम

श्री कृष्ण कुमार सिंह

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1782 दिनांक-20/03/2023 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-1009मि. रकबा 0.1540 हे0 में से रकबा 903 वर्गफीट यानि रकबा-83.92 वर्ग मीटर स्थित मौजा-सीरगोवर्धनपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री कृष्ण कुमार सिंह ने बहक श्री सुनीत कुमार गिरी को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद नकल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 17-05-2023 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 06-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 17-05-2023 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में नकल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-सीरगोवर्धनपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00227 फसली वर्ष 1430-1435 फ0 के आराजी संख्या-1009मि. रकबा 0.1540 हे0 में से रकबा 903 वर्गफीट यानि रकबा-83.92 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 दरोगा सिंह पता मारुती नगर कालोनी सीर गोवर्धनपुर वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री सुनीत कुमार गिरी पुत्र वेद प्रकाश गिरी पता ग्राम लोहरी सारन बिहार का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104414

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री संतोष कुमार सिंह

बनाम

श्री श्रीराम

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1099 दिनांक-14/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-693 रकबा 0.1900 हे० में से रकबा 1360 वर्गफीट यानि रकबा-126.39 वर्ग मीटर स्थित मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री श्रीराम ने बहक श्री संतोष कुमार सिंह को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता

संख्या-00149 फसली वर्ष 1425-1430 फ0 के आराजी संख्या-693 रकबा 0.1900 हे0 में से रकबा 1360 वर्गफीट यानि रकबा-126.39 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री श्रीराम पुत्र स्व0 गुददन् पता ग्राम फुलवरिया परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र नथुनी सिंह पता मानसनगर कालोनी सेक्टर-बी फुलवरियाँ वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा
तहसीलदार-सदर
वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104425

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती सीमा सिंह

बनाम

श्री श्रीराम

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1040 दिनांक-14/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-693 रकबा 0.1900 हे0 में से रकबा 2720 वर्गफीट यानि रकबा-252.78 वर्ग मीटर स्थित मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री श्रीराम ने बहक श्रीमती सीमा सिंह को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी

आपति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00149 फसली वर्ष 1425-1430 फ0 के आराजी संख्या-693 रकबा 0.1900 हे0 में से रकबा 2720 वर्गफीट यानि रकबा-252.78 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री श्रीराम पुत्र स्व0 गुद्दन पता ग्राम फुलवरिया परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री संतोष कुमार सिंह पता मानसनगर कालोनी सेक्टर-बी फुलवरियों वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700102318

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-लोहता परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-181 दिनांक-10/01/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-170 रकबा 0.0970 हे0 में से रकबा 652.6 वर्गफीट यानि रकबा-60.64 वर्ग मीटर स्थित मौजा-लोहता परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री उस्मान ने बहक श्री जलालुद्दीन को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद मूल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 18-03-2024 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 04-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 18-03-2024 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-लोहता परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00659 फसली वर्ष 1426-1431 फ0 के आराजी संख्या-170 रकबा 0.0970 हे0 में से रकबा 652.6 वर्गफीट यानि रकबा-60.64 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री उस्मान पुत्र मरहूम समद पता लोहता अलावल परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री जलालुद्दीन पुत्र मतीन पता लोहता अलावल वार्ड सं0-52 परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा
तहसीलदार-सदर
वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202314700139378

वर्ष-2023

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-लोहता परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती नसीम बानो

बनाम

श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-8896 दिनांक-19/12/2023 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-480ख रकबा 0.1460 हे० मे ं से सम्पूर्ण वैधानिक अंश रकबा 512 वर्गफीट यानि रकबा-47.58 वर्ग मीटर स्थित मौजा-लोहता परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी ने बहक श्रीमती नसीम बानो को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद मूल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव मे ं दिनांक 16-02-2024 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 04-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 16-02-2024 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव मे ं वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं है। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो ं के अवलोकन से क्रेती के पक्ष मे ं

नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-लोहता परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00380 फसली वर्ष 1426-1431 फ0 के आराजी संख्या-480ख रकबा 0.1460 हे0 में से सम्पूर्ण वैधानिक अंश रकबा 512 वर्गफीट यानि रकबा-47.58 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र फारूक अंसारी पता लोहता धमरिया परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती नसीम बानो पत्नी मोहम्मद शेर कुरैशी पता मकान नं0 सी.15/21 लहंगपुरा लल्लापुरा पितरकुण्डा वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202314700117121

वर्ष-2023

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-सीरगोवर्धनपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री काशीनाथ पाण्डेय

बनाम

श्री प्रमोद कुमार यादव

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-3213 दिनांक-19/05/2023 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया।

आराजी संख्या-1059/2मि रकबा 0.0250 हे0 में से रकबा 2720 वर्गफीट यानि रकबा-252.788 वर्ग मीटर सम्पूर्ण अंश स्थित मौजा-सीरगोवर्धनपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री प्रमोद कुमार यादव ने बहक श्री काशीनाथ पाण्डेय को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद मूल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 15-07-2023 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 03-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 15-07-2023 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-सीरगोवर्धनपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00472 फसली वर्ष 1430-1435 फ0 के आराजी संख्या-1059/2मि रकबा 0.0250 हे0 में से रकबा 2720 वर्गफीट यानि रकबा-252.788 वर्ग मीटर सम्पूर्ण अंश मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री प्रमोद कुमार यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव पता म0नं0 डी0 60/77 छोटी गैबी केशवपुर थाना लक्सा छित्तपुर शहर वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री काशीनाथ पाण्डेय पुत्र विश्वनाथ पाण्डेय पता ग्राम पाण्डेय पिपरा पोस्ट सुकल पिपरा मोहनियां कैमूर बिहार का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700100022

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-खनावां परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती सुनीता सिंह

बनाम

श्री रामचन्द्र

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-9263 दिनांक-22/12/2023 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-802 रकबा 0.2800 हे० मे ं से रकबा 2736 वर्गफीट यानि रकबा-254.275 वर्ग मीटर स्थित मौजा-खनावां परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री रामचन्द्र ने बहक श्रीमती सुनीता सिंह को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद नकल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 02-03-2024 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 03-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 02-03-2024 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव मे ं वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में नकल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-खनावां परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00505

फसली वर्ष 1428-1433 फ0 के आराजी संख्या-802 रकबा 0.2800 हे0 में से रकबा 2736 वर्गफीट यानि रकबा-254.275 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री रामचन्द्र उर्फ रामचन्दर राय पुत्र कन्हैया उर्फ कन्हैया लाल राय निवासी ग्राम खनावां (खनांव) परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी आशीष कुमार पटेल निवासिनी ग्राम तालर पोस्ट खैरपुर सेमरा राजगढ़ मीरजापुर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा
तहसीलदार-सदर
वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104593

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-सरायनंदन परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती पूनम देवी

बनाम

श्री नसीम शाह

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1227 दिनांक-15/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-36 रकबा 0.2830 हे0 में से रकबा 550.8 वर्गफीट यानि रकबा-51.189 वर्ग मीटर सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा-सरायनंदन परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री नसीम शाह ने बहक श्रीमती पूनम देवी को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न

पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-सरायनंदन परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-01016 फसली वर्ष 1427-1432 फ0 के आराजी संख्या-36 रकबा 0.2830 हे0 में से रकबा 550.8 वर्गफीट यानि रकबा-51.189 वर्ग मीटर सम्पूर्ण वैधानिक अंश मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री नसीम शाह उर्फ मो0 नसीम शाह पुत्र स्व0 मोहम्मद नईम शाह पता मकान नंबर एन. 13/31ए-आर-1 सरायसुर्जन बजरडीहा वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती पूनम देवी पत्नी मुकुन्द लाल कसेरा पता मकान नंबर एन. 14/227ए2 सरायनन्दन खोजवा वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104163

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-केशरीपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती प्रतिमा योगेन्द्रनाथ पांडे

बनाम

श्री लवकुश आदि

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-886 दिनांक-07/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-324/1 रकबा 0.2630 हे0 मे ं से रकबा 807.5 वर्गफीट यानि रकबा-75.046 वर्ग मीटर स्थित मौजा-केशरीपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री लवकुश आदि ने बहक श्रीमती प्रतिमा योगेन्द्रनाथ पांडे को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव मे ं वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य मे ं मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एंव राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेतागण व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं है। हस्तांतरण रिपोर्ट मे ं किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष मे ं नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-केशरीपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00286 फसली वर्ष 1427-1432 फ0 के आराजी संख्या-324/1 रकबा 0.2630 हे0 मे ं से रकबा 807.5 वर्गफीट यानि रकबा-75.046 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेतागण श्री लवकुश व श्री गौतम पुत्रगण श्री रामखिलावन पता मौजा केशरीपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती प्रतिमा योगेन्द्रनाथ पांडे पत्नी योगेन्द्रनाथ पांडे पता मौजा कन्दवा पोस्ट कन्दवा वाराणसी (1871/2 भरत नगर सेवती क्रास रोड अम्बेडकर कालेज के पीछे) बडाला मुम्बई महाराष्ट्र-400031 का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा
तहसीलदार-सदर
वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700109270

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-नैपुआकलां परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री पवन कुमार सिंह

बनाम

श्री विद्याधर मिश्र

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1067 दिनांक-16/02/2019 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-372 रकबा 0.3030 हे० मे ं से रकबा 722.5 वर्गफीट यानि रकबा-67.146 वर्ग मीटर स्थित मौजा-नैपुआकलां परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री विद्याधर मिश्र ने बहक श्री पवन कुमार सिंह को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद मूल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव मे ं दिनांक 03-06-2019 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 03-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 03-06-2019 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव मे ं वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, मुख्तारेआम की छायाप्रति, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है। हस्तांतरण रिपोर्ट मे ं किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-नैपुराकलां परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00458 फसली वर्ष 1428-1433 फ0 के आराजी संख्या-372 रकबा 0.3030 हे0 में से रकबा 722.5 वर्गफीट यानि रकबा-67.146 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री विद्याधर मिश्र पुत्र बसन्त मिश्र बजरिये मुख्तारेआम श्री आशीष कुमार मिश्र पुत्र श्री विद्याधर मिश्र पता नैपुराकलां परगना देहात अमानत वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह पता सुसुवाही हैदराबाद गेट बी0एच0यू0 परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700102789

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-कादीपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती अनीता देवी

बनाम

श्रीमती सुनीता साहू

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-466 दिनांक-24/01/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-782 सम्पूर्ण रकबा 0.0050 हे0 में से रकबा 544 वर्गफीट

यानि रकबा-50.56 वर्ग मीटर स्थित मौजा-कादीपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्रीमती सुनीता साहू ने बहक श्रीमती अनीता देवी को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेती व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-कादीपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00514 फसली वर्ष 1425-1430 फ0 के आराजी संख्या-782 सम्पूर्ण रकबा 0.0050 हे0 में से रकबा 544 वर्गफीट यानि रकबा-50.56 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेती श्रीमती सुनीता साहू उर्फ सुनीता देवी पत्नी श्री संजय कुमार गुप्ता पता मकान नम्बर बी.34/6-3 सरायनन्दन दशमी वार्ड भेलूपुर शहर वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री जितेन्द्र प्रसाद साहनी पता ग्राम रामचन्दीपुर नखवां जिला वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700101771

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत,
तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती सुशीला देवी

बनाम

श्री विजय कुमार पाल

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित दान पत्र क्रमांक-57 दिनांक-04/01/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-मि.456/1 रकबा 0.6070 हे० मे ं अपने क्रयशुदा रकबा 1360 वर्गफीट में से सिर्फ रकबा 680 वर्गफीट यानि रकबा-63.19 वर्ग मीटर स्थित मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का दान श्री विजय कुमार पाल ने बहक श्रीमती सुशीला देवी को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

दानग्रहिती ने अपने साक्ष्य मे ं मूल दान पत्र, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी दानग्रहिती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, दानकर्ता व दानग्रहिती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। दानकर्ता की तरफ से शपथ पत्र दिया गया। जिससे दान की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से दानग्रहिती के पक्ष मे ं नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-फुलवरिया परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00402 फसली वर्ष 1425-1430 फ० के आराजी संख्या-मि.456/1 रकबा 0.6070 हे० मे ं अपने क्रयशुदा रकबा 1360 वर्गफीट में से सिर्फ रकबा 680 वर्गफीट यानि रकबा-63.19 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम दानकर्ता श्री विजय कुमार पाल पुत्र स्व० मोती लाल पाल निवासी ग्राम फुलवरियां परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर दानग्रहिती श्रीमती सुशीला देवी पत्नी विजय पाल निवासिनी ग्राम फुलवरियां परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी का नाम बतौर

संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700102510

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-बजरडीहा परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री रशीद जमाल

बनाम

श्री विजय प्रताप सिंह

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-5717 दिनांक-10/08/2023 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-मि.53 रकबा 0.3040 हे० में क्रयशुदा रकबा 2720 वर्गफीट यानि रकबा-253 वर्ग मीटर सम्पूर्ण स्थित मौजा-बजरडीहा परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री विजय प्रताप सिंह ने बहक श्री रशीद जमाल को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद मूल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 18-03-2024 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 03-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 18-03-2024 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की

धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-बजरडीहा परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00266 फसली वर्ष 1427-1432 फ0 के आराजी संख्या-मि.53 रकबा 0.3040 हे0 में क्रयशुदा रकबा 2720 वर्गफीट यानि रकबा-253 वर्ग मीटर सम्पूर्ण मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह पता फ्लैट नं0-जी-1 शुभ श्रीजन रेसीडेन्सी लेन नं0 6 निरालानगर शिवपुरवां वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री रशीद जमाल पुत्र रियाजुद्दीन मरहूम पता मकान नं0 एन0 12/366 आजाद नगर देवपोखरी बजरडीहा शहर वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700105301

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-नासिरपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती तान्या पाल

बनाम

श्रीमती सुषमा यादव

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1277 दिनांक-20/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-मि141/1 रकबा 0.0490 हे० में से सम्पूर्ण क्रयशुदा रकबा 1700 वर्गफीट में से विक्रीत रकबा 1360 वर्गफीट यानि रकबा-126.394 वर्ग मीटर स्थित मौजा-नासिरपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्रीमती सुषमा यादव ने बहक श्रीमती तान्या पाल को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेती व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-नासिरपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00339 फसली वर्ष 1428-1433 फ० के आराजी संख्या-मि141/1 रकबा 0.0490 हे० में से सम्पूर्ण क्रयशुदा रकबा 1700 वर्गफीट में से विक्रीत रकबा 1360 वर्गफीट यानि रकबा-126.394 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेती श्रीमती सुषमा यादव पत्नी श्री शैलेश कुमार यादव पता 300 नरौली धानापुर जिला चन्दौली खारिज होकर क्रेती श्रीमती तान्या पाल पत्नी श्री अमित कान्त यादव पता अर्बन इकोस्पेस फ्लैट नं०.ए 125 ग्राम अदिगरकलाहल्ली नियर एक्साइड फैक्ट्री सरजापुरा बेंगलुरु कर्नाटक का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700104026

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-सुसुवाही परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

वैष्णवी कंस्ट्रक्शन

बनाम

श्री संजीव कुमार

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-1003 दिनांक-07/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-435 रकबा 0.4530 हे० में से रकबा 4342 वर्गफीट यानि रकबा-403.53 वर्ग मीटर स्थित मौजा-सुसुवाही परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री संजीव कुमार ने बहक वैष्णवी कंस्ट्रक्शन को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-सुसुवाही परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00176 फसली वर्ष 1430-1435 फ० के आराजी संख्या-435 रकबा 0.4530 हे० में से रकबा 4342 वर्गफीट यानि रकबा-403.53 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री संजीव

कुमार पुत्र संतोष कुमार पता प्लॉट नंबर 119बी लेन नंबर 11 रविन्द्रपुरी कालोनी भेलूपुर शहर
वाराणसी खारिज होकर क्रेता वैष्णवी कंस्ट्रक्शन जरिये प्रोपराईटर श्री विकलेश कुमार सिंह पुत्र
विजय शंकर सिंह पता सीखड़ चुनार जिला मिर्जापुर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार
अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700103039

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-औढ़े परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्री अफरोज अहमद

बनाम

श्री डा० राणा गोपाल सिंह

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख
क्रमांक-605 दिनांक-30/01/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार
पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-1114 रकबा 0.2900 हे० में से रकबा 1320 वर्गफीट यानि
रकबा-122.67 वर्ग मीटर स्थित मौजा-औढ़े परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का
विक्रय श्री डा० राणा गोपाल सिंह ने बहक श्री अफरोज अहमद को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज
रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति
के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेता ने अपने साक्ष्य में नकल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि

क्रय के पश्चात् भी क्रेता के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेता के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-औढ़ े परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00537 फसली वर्ष 1426-1431 फ0 के आराजी संख्या-1114 रकबा 0.2900 हे0 में से रकबा 1320 वर्गफीट यानि रकबा-122.67 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री डा0 राणा गोपाल सिंह (प्रधान निदेशक परामर्थ किडनी केयर प्रा0लि0) पुत्र स्व0 श्री राणा जंगबहादुर सिंह पता बी. 31/80-2 अहिल्याबाई कालोनी बी.एच.यू. वाराणसी खारिज होकर क्रेता श्री अफरोज अहमद पुत्र बन्दे अली पता जलालीपट्टी (घुघुलपुर) डी.एल.डब्लू. वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202414700103413

वर्ष-2024

अन्तर्गत धारा-34/35 उ0 प्र0 राजस्व संहिता,

मौजा-केशरीपुर परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती सुशीला वर्मा

बनाम

श्री लालबहादुर

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-687 दिनांक-01/02/2024 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-717/2 रकबा 0.1700 हे0 अपने वैधानिक अंश में से रकबा 1142.4 वर्गफीट यानि रकबा-106.17 वर्ग मीटर स्थित मौजा-केशरीपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री लालबहादुर ने बहक श्रीमती सुशीला वर्मा को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-केशरीपुर परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00217 फसली वर्ष 1427-1432 फ0 के आराजी संख्या-717/2 रकबा 0.1700 हे0 अपने वैधानिक अंश में से रकबा 1142.4 वर्गफीट यानि रकबा-106.17 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री लालबहादुर पुत्र स्व0 महादेव पता निवासी ग्राम केशरीपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती सुशीला वर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार सिंह निवासिनी ग्राम बढैनी खुर्द पोस्ट बभनियांव जिला वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।

न्यायालय तहसीलदार-सदर, वाराणसी।

वाद संख्या-ज्202314700135939

वर्ष-2023

अन्तर्गत धारा-34/35 उ० प्र० राजस्व संहिता,

मौजा-कुरुहुआ परगना-देहात अमानत,

तहसील-सदर जिला-वाराणसी

श्रीमती रंकी अग्रहरी

बनाम

श्री जित नारायण पटेल

निर्णय

नामांतरण का यह वाद निबंधन कार्यालय वाराणसी से प्राप्त निबन्धित विक्रय विलेख क्रमांक-8386 दिनांक-09/11/2023 पर अंकित है। जो लेखपाल के हस्तांतरण रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया। आराजी संख्या-650 रकबा 0.2060 हे० में से रकबा 686.25 वर्गफीट यानि रकबा-63.777 वर्ग मीटर स्थित मौजा-कुरुहुआ परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी का विक्रय श्री जित नारायण पटेल ने बहक श्रीमती रंकी अग्रहरी को किया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रख्यापन पत्र जारी किया गया जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है। वाद मूल बैनामा, शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 12-01-2024 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 06-04-2024 दिया गया है। जिसे स्वीकार किया जाता है। एकपक्षीय आदेश दिनांक 12-01-2024 निरस्त कर वाद मूल नम्बर पर कायम किया जाता है। किसी आपत्ति के अभाव में वाद निर्विवाद है।

क्रेती ने अपने साक्ष्य में मूल विक्रय विलेख, उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र के अनुसार उक्त भूमि क्रय के पश्चात् भी क्रेती के पास साढ़े बारह एकड़ से कम भूमि होगी। उक्त भूमि ग्रामसभा एवं राजस्व संहिता की धारा-77 के अन्तर्गत आनेवाली भूमि नहीं है, विक्रेता व क्रेती अनुसूचित जाति के नहीं हैं। हस्तांतरण रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से क्रेती के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही किया जाना विधिक संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा-कुरुहुआ परगना-देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी के खाता संख्या-00099

फसली वर्ष 1429-1434 फ० के आराजी संख्या-650 रकबा 0.2060 हे० में से रकबा 686.25 वर्गफीट यानि रकबा-63.777 वर्ग मीटर मालगुजारी परता खाता से नाम विक्रेता श्री जित नारायण पटेल पुत्र स्व० रामलखन पता मौजा मुड़ादेव टिकरी वाराणसी खारिज होकर क्रेती श्रीमती रंकी अग्रहरी पत्नी विजय अग्रहरी पता म०नं० एन-2/136 एच-एस मोहल्ला सुन्दरपुर शहर वाराणसी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सतीश वर्मा

तहसीलदार-सदर

वाराणसी।